# न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 102 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021 | 09.12.2021 | 18.02..2022 |

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

....... प्रार्थी

बनाम

1–श्री आशीष मेहता पुत्र श्री भागचन्द मेहता विक्रेता मैसर्स श्री अमरनाथ ट्रेडर्स गली नं05 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 निवासी डी–40 इन्द्रा कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0

2–श्रीमति रेखा मेहता पत्नि श्री आशीष मेहता प्रोपरायटर मैसर्स श्री अमरनाथ ट्रेडर्स गली नं05 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 निवासी डी–40 इन्द्रा कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 18.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.09.2021 को समय 1.41 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स श्री अमरनाथ ट्रेडर्स गली नं05 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री आशीष मेहता पुत्र श्री भागचन्द मेहता विक्रेता मैसर्स श्री अमरनाथ ट्रेडर्स गली नं05 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 निवासी डी–40 इन्द्रा कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला जिसने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया ... विक्रेता होना स्वीकार किया एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:14:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया,जिसमे प्रोपरायटर श्रीमति रेखा मेहता को होना बताया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान **ड्राई फ्रूट्स किशमिश डीलक्स ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Deluxe Brand)**रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री आशीष मेहता को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता आशिष मेहता एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 250–250 ग्राम के 25 नग पॉली पैक **ड्राई फ्रूट्स किशमिश डीलक्स ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Deluxe Brand)**रखे हुये मे से 250–250 ग्राम के 4 नग पॉली पैक का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री आशीष मेहता को रू0 230/–अक्षरे दौ सौ तीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **ड्राई फ्रूट्स किशमिश डीलक्स ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Deluxe Brand)** खरीदशुद्वा 250–250 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 1 किलोग्राम को बराबर–बराबर (एक भाग 250 ग्राम) को ज्यो का त्यो कागज के गत्ते के 4 डिब्बो मे बराबर–बराबर भरकर डिब्बो के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2933 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2933 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. आशीष मेहता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना [illegible] नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर [illegible] विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:14:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2021/3093 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1166/एक्ट/2021/1147 दिनांक 08.10.2021 अनुसार आशीष मेहता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **ड्राई फ्रूट्स किशमिश डीलक्स ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Deluxe Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का **ड्राई फ्रूट्स किशमिश डीलक्स ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Deluxe Brand)**का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **ड्राई फ्रूट्स किशमिश डीलक्स ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Deluxe Brand)**का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **ड्राई फ्रूट्स किशमिश डीलक्स ब्राण्ड (Dry Fruits Raisin Deluxe Brand)**का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री आशीष मेहता पुत्र श्री [illegible]गचन्द मेहता विकेता मैसर्स श्री अमरनाथ ट्रेडर्स गली नं05 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 निवासी डी–40 इन्द्रा कॉलोनी झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) अप्रार्थी श्रीमति रेखा मेहता पत्नि श्री आशीष मेहता प्रोपराइटर मैसर्स श्री अमरनाथ ट्रेडर्स गली नं05 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 निवासी डी–40 इन्द्रा कॉलोनी झिलाई रोड

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:14:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

18-2-2022

(मुरारी लाल शर्मा)

न्यायाधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:14:48 IST
Reason: SelfAttested